" हिंदी में पत्र व्यवहार कर देश का गौरव बढ़ाएं"

Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपारेशन लिमिटेड
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED
(भारत सरका का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

Regd Office: Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodi Road New Delhi 110003
Tele. 24365161 Fax 24360644 Email reccorp@recl.nic.in Gram RECTRIC
Website www.recindia.com & www.recindia.nic.in

वर्ष 2009-10 हेतु पुस्तकों, पत्रिकाओं की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना (एन.आई.टी.)

निविदा दस्तावेज

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी), भारत सरकार का एक उद्यम वर्ष 2009-10 हेतु पुस्तकों, पत्रिकाओं, जर्नलों की आपूर्ति के लिए **'मुहरबंद बोलियां'** आमंत्रित करता है जिसकी अवधि उन्हीं शर्तों और निबंधनों पर और एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। वस्तुओं की अनुमानित संख्या अनुबंध-1 में दी गई है। बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे अनुबंध-3 में दिए गए प्रपत्र में दरें उद्धृत करें। वस्तुओं की अनुमानित आवश्यकता लगभग 5.5 लाख होने का अनुमान है।

2. बोलियां दो भागों में भेजी जानी हैं - अनुबंध-2 के अनुसार प्रपत्र में विवरण देते हुए एक मुहरबंद लिफाफे के ऊपर **'तकनीकी-वाणिज्यिक बोली'** अंकित किया जाना है और अनुबंध-3 में दिए गए प्रपत्र में विवरण देते हुए दूसरे मुहरबंद लिफाफे के ऊपर 'वित्तीय बोली' अंकित किया जाना है। यथाउपर्युक्त दोनों मुहरबंद लिफाफों को एक अन्य मुहरबंद लिफाफे में रखा जाएगा जिसके ऊपर **'पुस्तकों, पत्रिकाओं, आदि की आपूर्ति के लिए बोली' और '19.6.2009 के पूर्व नहीं खोला जाना है'** अंकित किया जाना है। बोलियों पर बोलीदाता फर्म की ओर से विहित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इन्हें निम्नलिखित के पास भेजा जाएगाः-

ह/-
श्री ए.के. अरोड़ा,
उप महाप्रबंधक (प्रशासन),
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
कोर-4,स्कोप कांप्लेक्स,
नई दिल्ली-110003

3. मुहरबंद बोलियां आरईसी द्वारा 19 जून, 2009 को अपराह्न 3.00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। विहित समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा, चाहे दरें कुछ भी हों। तकनीकी - वाणिज्यिक बोलियों को इसी तारीख अर्थात 19 जून, 2009 को अपराह्न 4.00 बजे बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। ऐसे फर्मों, जो विहित तकनीकी-वाणिज्यिक मानदण्डों को पूरा करते हों, की वित्तीय बोलियों को खोलने की तारीख अलग से अधिसूचित की जाएगी।

4. **तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दस्तावेज** के साथ 10,000/- (केवल 10 हजार रुपये) की बयाना राशि जमा की जानी चाहिए। बयाना राशि का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के रूप में किया जाएगा। ऐसी बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। कोई भी बोली, जिसके साथ अपेक्षित बयाना राशि नहीं भेजी जाएगी, अवैध मानी जाएगी और आर.ई.सी. द्वारा अस्वीकार कर दी जाएगी।

5. यदि बोलीदाता बोली की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली को वापस ले लेता है, तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

6. सकल बोलीदाता की बयाना राशि संविदा के निष्पादन हेतु प्रतिभूति के रूप में रख ली जाएगी और संविदा के पूर्ण होने पर ही मुक्त की जाएगी।

7. बोली इसकी प्राप्ति की तारीख से 4 महीनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।

8. <u>दर और मूल्य</u>

8.1 बोलीदाताओं को दर अनुबंध-3 में दिए गए प्रपत्र में उद्धृत करना चाहिए।

8.2 आपूर्ति के संबंध में सभी सांविधिक शुल्क और कर (उत्पाद और सीमा शुल्क सहित) मूल्य संवर्धित कर और अन्य प्रभार, जो बोलीदाता द्वारा देय हों, स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट किए जाएं। उद्धृत कीमत अपरिवर्तनीय होगी और पेशकश की वैधता के दौरान दरों, कीमतों या शर्तों में कोई भी अंतर होने पर बयाना राशि जब्त करना अपेक्षित होगा।

8.3 पत्रिकाओं, पुस्तकों, आदि की आपूर्ति और सुपुर्दगी के लिए कोई अतिरिक्त भाड़ा या अन्य प्रभार, आदि देय नहीं होगा। वस्तुओं की सुपुर्दगी आरईसी द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट स्कोप भवन और पालिका भवन स्थित आरईसी कार्यालय में की जाएगी।

8.4 पेशकश की गई कोई भी छूट किसी शर्त के बगैर होगी।

9. आपूर्तियों का विभाजन

कारपोरेशन सेवाओं/आपूर्तियों के लिए एक से अधिक स्रोत रखने के बारे में निर्णय कर सकता है। कारपोरेशन प्राप्त की गई मद-वार न्यूनतम बोली पर आधारित दरों का मानकीकरण करके, यदि अन्य फर्म मानकीकृत दरों/शर्तों को स्वीकार करते हों, तो एक से अधिक आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता को भी पैनल में शामिल कर सकता है। एक से अधिक आपूर्तिकर्ता के मामले में आर्डर को इस तरह से विभक्त किया जाएगा कि ऐसे सभी फर्मों को लगभग बराबर मूल्य के आर्डर दिए जाएंगे।

10. भुगतान की शर्तें

वस्तुओं की संतोषजनक सुपुर्दगी और बिल प्राप्त होने के बाद एक पखवाड़े के भीतर भुगतान जारी किया जाएगा।

11. वस्तुओं की सुपुर्दगी

पत्रिकाओं की सुपुर्दगी शेल्फ के उपलब्ध होने के एक दिन के भीतर कर दी जाएगी। अन्य वस्तुओं उदाहरणार्थ पुस्तकों, जर्नलों आदि की सुपुर्दगी कार्य संबंधी आर्डर की स्वीकृति के दो दिनों के भीतर कर दी जाएगी।

12. आपूर्ति में विलम्ब हेतु निर्धारित क्षति

12.1 समय संविदा का सार तत्व है। समय बोलीदाता को समय-सीमा का पालन करना चाहिए और सुपुर्दगी सुनिश्चित करना चाहिए। विनिर्दिष्ट तारीख को या इससे पूर्व समस्त सुपुर्दगी या इसके भाग की आपूर्ति करने में विफल रहने पर प्रति सप्ताह कुल संविदा कीमत के 2औ मूल्य के बराबर पूर्व-अनुमानित पूर्व-निर्धारित निर्णीत क्षति, बशर्ते यह अधिकतम रूप से कुल संविदा मूल्य का 10औ रहे, देनी होगी।

12.2 आर्डर को पूरा करने में 10 दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक की देरी होने पर आरईसी के पास उपर्युक्त निर्णीत क्षति लेकर आर्डर को निरस्त करने का अधिकार होगा।

13. समाधान/विवाचन

13.1 यदि पार्टियों के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद या मतभेद पैदा होता है, तो तत्संबंधी पार्टियां आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त समिति के जरिए इसके मैत्रीपूर्ण समाधान की दृष्टि से बातचीत करेंगी।

13.2 यदि एक पार्टी द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर पार्टियों के बीच कोई मैत्रीपूर्ण समाधान या निराकरण नहीं हो पाता है, तो ऊपर वर्णित विवाद या मतभेद आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र माध्यस्थम के पास भेजा जाएगा और उनके द्वारा इसका समाधान किया जाएगा।

13.3 किसी विवाद या मतभेद और/या विवाचन के लिए किसी संदर्भ के होते हुए भी ठेकेदार व्यावसायिक तरीके से उचित लगन और तीव्रता के साथ संविदा के तहत कार्य के निष्पादन को बाधित किए बगैर आगे बढ़ेगा और कार्य करना जारी रखेगा और ठेकेदार को देय भुगतान विवाचन प्रक्रिया के ऐसे अंतर के कारण तब तक रोका नहीं जा सकेगा जब तक ऐसा भुगतान विवाचन का विषय न हो।

13.4 विवाचन प्रक्रिया विद्यमान माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 और समय-समय पर संशोधित या अधिनियमित भारत के कानूनों के अनुसार की जाएगी।

13.5 विवाचन का स्थान नई दिल्ली, भारत होगा। विवाचक के शुल्क और अन्य प्रभारों का निर्धारण विवाचक द्वारा अधिनियम के संदर्भों में किया जाएगा और पार्टियों के बीच बराबर-बराबर विभाजित किया जाएगा।

13.6 विवाचक प्राकृतिक और तर्कसंगत निर्णय देगा। पार्टियां विवाचन की कार्यवाही के दौरान वाद प्रक्रिया पूर्ण होने तक किसी हित के हकदार नहीं होंगी।

14. अप्रत्याशित घटनाएं

14.1 किसी भी पार्टी के संविदा के तहत उनके द्वारा निष्पादन किए जाने हेतु अपेक्षित किसी दायित्व को पूरा करने में किसी अप्रत्याशित घटना के कारण अक्षम हो जाने की स्थिति में ऐसी अप्रत्याशित घटना द्वारा प्रभावित पार्टी के सापेक्षिक दायित्व उस अवधि के दौरान निलम्बित कर दिया जाएगा जिसमें ऐसी घटना का प्रभाव समाप्त न हो जाए।

14.2 यहां प्रयुक्त ''अप्रत्याशित घटना'' का आशय ईश्वरीय घटना, युद्ध, दंगों, आग, बाढ़ से होगा जिससे संविदा का निष्पादन और दोनों पार्टियों, नामतः आरईसी और ठेकेदार के संबंधित सरकार के अधिनियम और विनियमन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है।

14.3 ऐसी घटना होने और इसके समाप्त हो जाने पर यह कहने वाली पार्टी कि वह यथा-उपरोक्त रूप से अक्षम हो गई है, अन्य पार्टी को अप्रत्याशित घटना की शुरुआत और उक्त कारण की समाप्ति के बारे में घटना की समाप्ति के 72 घंटों के भीतर अन्य पार्टी को लिखित रूप में सूचना देकर अधिसूचित करेगा। यदि 2 (दो) महीनों से अधिक तक अप्रत्याशित घटना की स्थितियां बने रहने के कारण आपूर्तियां निलम्बित रहती हैं, तो आरईसी के पास अपनी ओर किसी दायित्व के बगैर अपने विवेक पर इस संविदा को पूरी तरह से या अंशतः निरस्त करने का विकल्प रहेगा।

14.4 अप्रत्याशित घटना के कारण निलम्बित सापेक्षिक दायित्व के निष्पादन का समय तब इतनी अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा जब तक ऐसा कारण समाप्त न हो जाए।

15. <u>लागू कानून और क्षेत्राधिकार</u>

इससे जुड़े सभी मामले उस अवधि में लागू भारतीय कानून मूल और प्रक्रियात्मक दोनों द्वारा शासित होंगे और केवल दिल्ली स्थित भारतीय न्यायालय के अधीन रहेंगे।

16. किसी भी वैकल्पिक पेशकश पर विचार नहीं किया जाएगा।

17. आरईसी के पास किसी भी या सभी बोलियों को इनके प्राप्त होने के बाद अस्वीकार करने सहित ठेका देने के पूर्व किसी भी समय बोली लगाने की प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और ऐसा होने की स्थिति में प्रभावित बोलीदाता के प्रति कोई उसकी हेयता नहीं होगी या आरईसी की कार्रवाई के आधार पर प्रभावित बोलीदाता/बोलीदाताओं को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

18. आरईसी के पास किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने और किसी भी समय बोली प्रक्रिया को निरस्त करने तथा आर्डर देने से पूर्व किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा और इससे उस पर कोई दायित्व नहीं बनेगा।

19. दस्तावेजों पर कोई भी स्पष्टीकरण निम्नलिखित से प्राप्त किया जा सकता है-

श्री ए.के. अरोड़ा उप-महाप्रबंधक रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, **नई दिल्ली-110003** दूरभाष सं. 24366921	सुश्री मंजू जैन सहायक प्रबंधक (पुस्तकालय) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, **नई दिल्ली-110003** दूरभाष सं. 24365161

अनुबंध-1

पत्रिकाओं, जर्नलों की अनुमानित रूप से वार्षिक आवश्यकता

क. पत्रिकाएं

क्र.सं.	पत्रिका का नाम	संख्या	प्रकार
1.	कम्पीटीशन सक्सेस रिव्यू	2 प्रतियां	मासिक
2.	परफेक्ट मीडिया	9 प्रतियां	मासिक
3.	फ्रंट लाइन	1 प्रति	पाक्षिक
4.	आयुष्मान	2 प्रतियां	तिमाही
5.	आरोग्य संजीवनी	2 प्रतियां	तिमाही
6.	मुक्ता	3 प्रतियां	मासिक
7.	मेरी सहेली	4 प्रतियां	मासिक
8.	चम्पक (अंग्रेजी)	2 प्रतियां	पाक्षिक
9.	चम्पक (हिन्दी)	2 प्रतियां	पाक्षिक
10	चंदामामा (हिन्दी)	3 प्रतियां	मासिक
11	चिल्ड्रन वर्ड	2 प्रतियां	मासिक
12	एक्सेल टाइम टेबल	1 प्रति	मासिक
13	गृह शोभा	4 प्रतियां	पाक्षिक
14	गृह लक्ष्मी	4 प्रतियां	मासिक
15	हेल्थ (अंग्रेजी)	1 प्रति	मासिक
16	हेल्थ (हिन्दी)	2 प्रतियां	मासिक
17	प्रतियोगिता दर्पण (हिन्दी)	1 प्रति	मासिक
18	कम्पीटीशन मास्टर	1 प्रति	मासिक
19	क्रिकेट सम्राट (हिन्दी)	1 प्रति	मासिक
20	कादम्बिनी	2 प्रतियां	मासिक
21	लोट पोट	3 प्रतियां	साप्ताहिक

क्र.सं.	पत्रिका का नाम	संख्या	प्रकार
22	निरोग धाम	2 प्रतियां	तिमाही
23	नंदन	2 प्रतियां	मासिक
24	सरिता	3 प्रतियां	पाक्षिक
25	टिंकल	2 प्रतियां	मासिक
26	दि वीक	2 प्रतियां	साप्ताहिक
27	वनिता	4 प्रतियां	मासिक
28	वुमनइरा	2 प्रतियां	पाक्षिक
29	सुमन सौरभ	3 प्रतियां	मासिक
30	लाइफ पॉजिटिव	2 प्रतियां	मासिक
31	इम्पलायमेंट न्यूज (अंग्रेजी)	2 प्रतियां	साप्ताहिक
32	बिजनेस इंडिया	3 प्रतियां	साप्ताहिक
33	इकोनॉमिस्ट	2 प्रतियां	साप्ताहिक
34	टाइम	3 प्रतियां	साप्ताहिक
35	न्यूज वीक	1 प्रति	साप्ताहिक
36	स्वामी न्यूज	2 प्रतियां	मासिक
37	कैपिटल मार्केट	1 प्रति	पाक्षिक
38	इंडिया टुडे (अंग्रेजी)	5 प्रतियां	साप्ताहिक
39	रीडर डाइजेस्ट	5 प्रति	मासिक
40	बिजनेस टुडे	4 प्रतियां	पाक्षिक
41	बिजनेस वर्ल्ड	3 प्रतियां	साप्ताहिक
42	दलाल स्ट्रीट	1 प्रतियां	पाक्षिक
43	मनोहर कहानियां	3 प्रतियां	मासिक
44	इलेक्ट्रानिक फार यु	1 प्रति	मासिक
45	इंडिया टुडे (हिन्दी)	2 प्रतियां	साप्ताहिक
46	सत्य कथा	3 प्रतियां	मासिक

क्र.सं.	पत्रिका का नाम	संख्या	प्रकार
47	साखी	3 प्रतियां	मासिक
48	सार सलिल	2 प्रतियां	पाक्षिक
49	पीसी क्वेस्ट	1 प्रति	मासिक
50	चिप	1 प्रति	मासिक
51	निरोग सुख	2 प्रतियां	द्वैमासिक
52	ओशो टाइम (हिन्दी)	2 प्रतियां	मासिक
53	फेमिना	2 प्रतियां	पाक्षिक
54	मायापुरी (हिन्दी)	2 प्रतियां	साप्ताहिक
55	गुड होम मेकर	2 प्रतियां	मासिक
56	इन साइड आउट साइड	1 प्रति	मासिक
57	जाह्नवी	3 प्रतियां	मासिक
58	डाटा क्वेस्ट	1 प्रति	पाक्षिक

ख. जर्नल और पुस्तक

सरकारी नियमों एवं विनियमों, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से संबंधित विषयों, हिन्दी पुस्तक, उपन्यास मांग के आधार पर।

अनुबंध-2

अखबार, पत्रिका आदि की आपूर्ति - तकनीकी बोली

1. फर्म

क) नाम ----------

ख) रजिस्टर्ड पता ----------

ग) संपर्क के लिए व्यक्ति----------

(i) नाम एवं पदनाम ----------

(ii) पता ----------

(iii) दूरभाष (लैंडलाइन) ---------- मोबाइल ----------

(iv) ई-मेल आईडी ----------

2. फर्म का प्रकारः प्रोप्राइटरी/पार्टनरशिप/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/सहकारी/एनजीओ/पीएसयू
(कृपया रजिस्ट्रेशन / दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)

3. पैन संख्याः ----------
(प्रतिलिपि संलग्न करें)

4. टिन संख्याः ----------
(प्रतिलिपि संलग्न करें)

5. पिछले तीन वर्षोंके दौरान फील्ड में इसी प्रकार के कार्य का अनुभव
(पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम एक पीएसई/सरकारी विभाग समेत कम से कम पांच प्रतिष्ठित कंपनियों को समान मद आपूर्ति की हो।

(दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियां प्रस्तुत करें)
---------- (संलग्न) (कृपया इंगित करें)

6. पेशगी धन के ब्यौरे डीडी सं. ---------- दिनांक ----------
राशि 10,000 रुपये
----------को आहरित

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
नाम----------
पदनाम----------
मुहर----------

अनुबंध-3

वित्तीय बोली हेतु प्रपत्र - पुस्तकों एवं जर्नलों की अधिप्राप्ति

क्र.सं.	मद	एमआरपी पर दी गई छूट
1.	पत्रिका	--------औ
2.	जर्नल	--------औ
3.	पुस्तक	--------औ
	क) अंग्रेजी पुस्तकें	--------औ
	ख) हिन्दी पुस्तकें	--------औ
	ग) नियम संबंधी पुस्तकें	--------औ
4.	अन्य शुल्क/छूट आदि कोई हो (कृपया इंगित करें)	

निविदा दस्तावेज में निहित नियम एवं शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

नाम----------

पदनाम----.----------

मुहर----------